

राजस्थान सरकार
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
जिला-बाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. अमृतलाल पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी छोटा हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. देवाराम पुत्र भेरा 2. लक्ष्मण पुत्र देवाराम 3. खेताराम पुत्र भेरा 4. खेताराम पुत्र पुजा जातियान मेघवाल निवासीगण छोटा हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 5. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा सेड़वा। 6. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 193/2025

20/6/25 प्रार्थी अमृतलाल पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी छोटा हाथला तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री करनाराम कड़वासरा ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व सपठित धारा 6 व 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ तहसील सेड़वा के मौजा छोटा हाथला पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. अरटी के नया खाता संख्या 10 के खसरा संख्या 715/472 रकबा 0-4613 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अतः इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा छोटा हाथला पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. अरटी के नया खाता संख्या 10 के खसरा संख्या 715/472 रकबा 0-4613 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के माफत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाब आगामी पेशी तारीख 29/6/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

30/6/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली पेशी पर ली गई। चूंकि मूलवाद को जरिए रजिनामा क्लिफ्ट किया जा चुका है, तो इस आवेदन को अगले प्लाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस आवेदन की करिवर्ष इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली केसल शुमार होकर मूलवाद के संलग्न पेश हो।

